

पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान जी मुताबिक राजस्व रिपोर्ट हाल जमाबंदी खता स. 1297 के
 वाली देवी पत्नी सुरेन्द्र चौधरी के नाम का डबल अंकन है जो
 कि एक ही व्यक्ति है अतः प्राची का नाम व हिस्सा मज
 कि दिग जाना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

श्रीमान जी, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी शुद्ध किया जाना उचित है।

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं भू. क्र. निरी के अनुसार यथा उचित है।

2025
 458

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/167

दिनांक:- 26-9-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कानपुरा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत्. 2072-75 के खाता संख्या 1297 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	काली देवी पत्नी सुरेन्द्र चौधरी हि. 1/2	किता 03	0.47	काली देवी पत्नी सुरेन्द्र चौधरी हि. पूर्ण	किता 03	0.47
	काली देवी पत्नी सुरेन्द्र चौधरी हि. 1/2			जाति जाट स्म. देह		
	शेष अदस्ता			खातेदार		
				शेष अदस्ता		



क्रमांक:- 501-2

दिनांक:- 26-9-25

प्रतिक्रिया:- 1. तहसीलदार नसीराबाद को जालना प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर 2. आदेश पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर